

वनिरिमाण क्षेत्र को प्रोत्साहन

यह एडिटरियल 10/05/2022 को 'हद्वि बज़िनेसलाइन' में प्रकाशित "How to Give Manufacturing a Leg-up" लेख पर आधारित है। इसमें उन उपायों के बारे में चर्चा की गई है जो देश के वनिरिमाण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये किये जा सकते हैं और इस प्रकार भारत को भविष्य का 'मैन्युफैक्चरिंग हब' बना सकते हैं।

संदर्भ

वनिरिमाण क्षेत्र पर देश द्वारा नए सरि से ध्यान केंद्रित करने हेतु वर्ष 2014 में सरकार द्वारा '[मेक इन इंडिया](#)' (Make in India) पहल शुरू की गई। इस क्रम में भारत में वनिरिमाण, डिज़ाइन, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये कई सुधार किये गए।

- वर्ष 2020 में घोषित '[आत्मनिर्भर भारत](#)' अभियान भी भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के अपने घोषित लक्ष्य के तहत स्थानीय वनिरिमाण को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य रखता है।
- भारत के जनसांख्यिकीय लाभों और सस्ते श्रम बल की उपलब्धता के कारण देश में वनिरिमाण क्षेत्र में वृहत संभावनाएँ मौजूद हैं। हालाँकि वृहत नविश, कार्यबल की अपस्कलिंग और अवसंरचना उन्नयन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अभी अधिकाधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

भारत में वनिरिमाण क्षेत्र की स्थिति

- वनिरिमाण प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में से एक है जिसमें मूल्य वर्द्धन (Value Addition) शामिल है और जिसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत में वशिव का पाँचवाँ सबसे बड़ा वनिरिमाण आधार मौजूद है।
- केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा आयोजित तमिाही रोज़गार सर्वेक्षण की दूसरी तमिाही की रिपोर्ट के अनुसार चयनित नौ क्षेत्रों में सृजित सभी रोज़गार अवसरों में वनिरिमाण क्षेत्र का योगदान लगभग 39% है।
- भारत में 45% से अधिक वनिरिमाण उत्पादन MSME क्षेत्र से प्राप्त होता है।
 - भारत में वभिनिन कौशल स्तरों पर उपलब्ध मानव पूंजी का विशाल पूल उन फर्मों को एक वशिष्ट प्रतस्पर्द्धात्मक लाभ प्रदान करता है जो भारत के भीतर वनिरिमाण गतिविधियों का संचालन करते हैं।
- गुजराते वर्षों में नशिचति रूप से कुछ ऐसे क्षेत्र उभरे हैं जहाँ भारत ने वनिरिमाण में नेतृत्वकारी स्थिति प्राप्त कर ली है, जैसे परधान एवं सहायक साज-सज्जा, वस्त्र, ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम उत्पादों और मोटर वाहन।
 - हालाँकि सेवाओं के नरियात में भारत की सफलता जैसी उपलब्ध वनिरिमाण क्षेत्र में पाने के लिये भारत को अभी लंबी यात्रा तय करनी है।

भारत में वनिरिमाण के प्रोत्साहन के लिये उठाए गए कदम

- अवसंरचना विकास परियोजनाएँ: उदाहरण के लिये, 'संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण' (Whole-of-Government Approach) पर नरिमति [राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन](#) (National Infrastructure Pipeline- NIP) पहले से ही मौजूद है जो वतित वर्ष 2019-20 से 2024-25 को कवर करती है।
 - '[इंडिया इनवेस्टमेंट ग्रिड](#)' पर उपलब्ध आँकड़े बताते हैं कि 5 मई, 2022 तक की स्थिति के अनुसार कुल 15,454 परियोजनाएँ उपलब्ध हैं, जिनकी कुल परियोजना लागत 1,981.83 बिलियन डॉलर है।
 - मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के साथ 'प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर' वाले औद्योगिक स्मार्ट शहरों के एकीकृत विकास को सुवधाजनक बनाने के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (National Industrial Corridor Development Programme) लॉन्च किया गया था।
 - इसके अलावा, वभिनिन क्षेत्रों के लिये वर्ष 2020 से कई उत्पादन-लकिड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं की घोषणा की गई है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने के लक्ष्य के साथ वनिरिमाण को प्रोत्साहित करते हैं।
- वेयरहाउस मैन्युफैक्चरिंग (Warehouses Manufacturing): केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने बॉन्डेड वेयरहाउसों (bonded warehouses) में वनिरिमाण और अन्य कार्यों पर केंद्रित कार्यक्रम का एक नया एवं बेहतर संस्करण प्रस्तुत किया है।
 - 'वेयरहाउस मैन्युफैक्चरिंग' से कार्यशील पूंजी की बचत होती है, जो आमतौर पर छोटे उद्यमों के मामले में दुर्लभ होती है और वैश्विक आपूर्ति

शुंखला में वतिरण कार्यक्रम को संक्षुप्त कर अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में MSMEs को बेहतर स्थिति प्रिप्राप्त करने में मदद करती है।

- संगठनों को प्रतसिपरद्धात्मक लाभ प्रिप्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु CBIC द्वारा 'बॉन्डेड मैनुफैक्चरिंग स्कीम' (Bonded Manufacturing Scheme) को नया रूप दिया गया है।

- **सीमा शुल्क नयिम:** भारत के भीतर घरेलू वनिरिमाण को सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नयिम जैसे वैधानिक उपायों के माध्यम से भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जसि समय-समय पर उद्योग और व्यापार की गतिशील आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया है।

'बॉन्डेड मैनुफैक्चरिंग स्कीम'

- 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का समर्थन करने के लिये CBIC ने सीमा शुल्क अधिनयिम, 1962 के तहत बॉन्डेड मैनुफैक्चरिंग स्कीम शुरू की है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई वनिरिमाण इकाई बिना कसि ब्याज देयता के सीमा शुल्क आस्थगन (Customs duty deferment) के तहत माल (इनपुट और पूंजीगत सामान दोनों) का आयात कर सकती है।
- इस योजना में कोई नविश सीमा और नरियात दायतिव नहीं है।
- यदि बॉन्डेड वेयरहाउसों में कयि गए ऐसे वनिरिमाण कार्यों के परिणामस्वरूप माल का नरियात किया जाता है तो शुल्क पूरी तरह से हटा दिया जाता है।
 - आयात शुल्क केवल उस स्थिति में देय होता है जहाँ तैयार माल या आयातित माल घरेलू बाज़ार में अनुमति पाता है (एक्स-बॉन्डिंग)।
- बॉन्डेड वनिरिमाण कार्यक्रम की ऑनबोर्डिंग पूरी तरह से डिजिटल है और इसके लिये माइक्रोसाइट 'इन्वेस्ट इंडिया' पोर्टल पर उपलब्ध है।

वनिरिमाण क्षेत्र के समक्ष वदियमान चुनौतियाँ:

- प्रमाणति कारखानों की कमी: दुनिया भर के नगिम ISO या BSI प्रमाणति कारखानों से वसतु खरीदना पसंद करते हैं।
 - चीन में अधिकांश कारखाने ISO या BSI प्रमाणति हैं, लेकिन भारत के कारखानों की यह स्थिति नहीं है। उनमें से अधिकांश कसि भी बुनयिदी नरिीक्षण मानकों को पूरा नहीं करते हैं।
 - इस तरह के व्यावहारिक मुद्दे गंभीर अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को भारत को सोर्सिंग गंतव्य के रूप में देखने से हतोत्साहित करने के लिये प्रियाप्राप्त हैं।
- **अवकिसति वनिरिमाण क्षेत्र:** जबकि पिड़ोसी के साथ-साथ प्रतसिपरद्धी देश चीन वर्तमान में एक 10-वर्षीय रूपांतरणकारी अभियान 'मेड इन चाइना 2025' के मध्य में है और शर्म-गहन वनिरिमाण से परे रोबोटिक्स एवं एरोस्पेस जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, भारत अभी भी पुरानी सोच और ढर्रे पर आधारित शर्म-गहन वनिरिमाण को अपनी ऐसी अर्थव्यवस्था में लाने का लक्ष्य बना रहा है, जहाँ लाखों नए रोजगार सृजति करने की सख्त ज़रूरत है।
 - यह छोटा सा लक्ष्य भी पछिले दो वर्षों में लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था से प्रभावित हुआ है।
- **कमज़ोर अवसंरचना:** भारत की कमज़ोर अवसंरचना वनिरिमाण क्षेत्र के लिये एक प्रभावपूर्ण दोष बनी हुई है।
 - भारत हर साल अवसंरचना नरिमाण के लिये अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 3% उपयोग करता है (चीन के सकल घरेलू उत्पाद के 20% की तुलना में)।
 - आज भी भारत की भूतल परविहन प्रणालियाँ आधुनिक हाई-स्पीड लॉजिस्टिक्स (जो कुशल वनिरिमाण की रीढ़ हैं) की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकती हैं।
- **अपरियाप्त बजिली आपूर्ति:** बाधति और अनशिचित बजिली आपूर्ति एक और दोष है जो देश के वनिरिमाताओं को वशिष हानिकी स्थिति में रखती है।
 - भारत का वार्षिक बजिली अंतराल 10% से अधिक है और यहाँ वशिष में सबसे कम प्रतव्यक्त बजिली खपत में से एक की स्थिति है।
- **योजनाओं की भरमार:** इन घोषणाओं में दो प्रमुख कमियाँ थीं-
 - सर्वप्रथम, वनिरिमाण संबंधी योजनाओं में से अधिकांश नविश के लिये वदिशी पूंजी और उत्पादन के लिये वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच पर बहुत अधिक नरिभर रहे हैं।
 - इसने एक अंतरनहित अनशिचतिता उत्पन्न की, क्योंकि घरेलू उत्पादन की योजना कहीं और मांग एवं आपूर्ति की स्थिति के अनुसार बनाई जानी थी।
 - दूसरा, नीति-नरिमाताओं ने अर्थव्यवस्था में तीसरे घाटे की उपेक्षा की जो ककार्यान्वयन है।

भारत में वनिरिमाण के प्रोत्साहन के लिये कयि जा सकने वाले उपाय

- **अवसंरचना में नविश:** वृहत अवसंरचना नविश पर अधिकाधिक ध्यान केंद्रति करते हुए वनिरिमाण का समर्थन करने के लिये एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये क्योंकि यह स्वयं ही विकास के वृहत अवसर उत्पन्न करेगा।
 - अनुसंधान से पता चला है कि वृद्ध अवसंरचना में नविश से वनिरिमाण की रसद लागत में भी कमी आती है।
- **नीतगत हस्तक्षेप:** भारत की वनिरिमाण रणनीति का एक अंतमि वैचारिक खंड यह होना चाहिये कि नीतियों का ऐसा रूपाकार हो जो शर्मकों के कौशल की वृद्धि करता हो और फर्मों के लिये वतित तक पहुँच को बेहतर बनाता हो।
 - फर्मों की वतित तक अधिकाधिक पहुँच अर्थव्यवस्था में एक सामान्य आवश्यकता है, लेकिन नरिमाण फर्मों को नशिचित पूंजी नविश की आवश्यकता होने की अधिक संभावना रहती है, जबकि वसितार, उन्नयन या कार्यशील पूंजी के लिये प्रियाप्राप्त वतित की कमी से वे अधिक आघात पाते हैं।
- **विकपूर्ण आयात नीति:** आयात नीति के विकपूर्ण उपयोग के माध्यम से देश के भीतर उत्पादन को नरितरति किया जा सकता है ताकि अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने के उद्देश्य की पूर्ति की जा सके।
 - अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में नरियात (सीमा शुल्क के समर्थन के साथ) को देश के भीतर वनिरिमाण क्षमता से उत्पन्न घरेलू अधशिष से भी बढ़ाया जा सकता है।
- **'पॉलिसी कैजुअलनेस' को खतम करना:** कार्यान्वति कर सकने की तैयारी के बिना ही नीति घोषणाओं का सलिसलि 'पॉलिसी कैजुअलनेस' या

नीति-अनौपचारिकता का परदृश्य बनाता है। सरकार को अपने नरिणयों में कार्यानवयन घाटे के नहितिारथों को भी ध्यान में रखना होगा।

- सुदृढ़ और सावधानीपूर्वक तैयार किये गए नीति कार्यानवयन से भारत के समग्र नविश माहौल में सुधार आएगा, जिससे नविश, रोजगार अवसरों और आर्थिक विकास को बढ़ावा मलिया।

- **स्थरि बजिली आपूरतः** उदयोगों के विकास को बढ़ावा देने के लयि स्थरि, कम लागतपूरण और नरिबाध बजिली की आपूरत महत्त्वपूरण है।
 - यदयपि बजिली की उपलब्धता में काफी हद तक सुधार हुआ है, लेकनि भारत को वनिरिमाण विकास के लाभों को प्राप्त करने के लयि औदयोगिक स्तर पर इसे जलद से जलद सुनश्चिति करना चाहयि।
- **राज्य वशिषिट योजनाएँ:** वर्तमान में वनिरिमाण मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ राज्यों में केंद्रति है जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र के एक बड़े हसिसे को कवर करते हैं।
 - आंध्र प्रदेश, बहिर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशिा, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चमि बंगाल जैसे राज्यों में भी वृहत भूमिक्षेत्र उपलब्ध हैं जो भारतीय वनिरिमाण की सफलता की कहानयियों में योगदान कर सकते हैं।
 - इन राज्यों में नमिन वनिरिमाण गतविधि के कारणों की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहयि और इसके आधार पर केंद्र सरकार द्वारा सकरयि रूप से समर्थन देते हुए राज्य वशिषिट औदयोगीकरण रणनीतयियों को मशिन मोड में तैयार और कार्यानवति करने की आवश्यकता है।
- **कौशल प्रदान करना:** स्कूलों और कॉलेजों में शक्षण की गुणवत्ता में सुधार कयिा जाना चाहयि। शक्षिा प्रणाली के भीतर उच्च गुणवत्तापूरण व्यावसायिक प्रशक्षण प्रदान कयिा जाना चाहयि।
 - भारत की शर्म उत्पादकता पछिले दशक में बढ़ी है, लेकनि चीन की तुलना में यह कम है। वैश्विक बाजार में प्रतस्पर्धा के लयि इसे संबोधति कयिा जाना चाहयि। नई शक्षिा नीति 2020 के अंतरगत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत एक स्वागतयोग्य कदम है।

अभ्यास प्रश्न: “भारत के वनिरिमाण क्षेत्र के लयि नीतगत दृषटकिेण को नविश के लयि एक अनुकूल वातावरण का नरिमाण करने, आधुनिक एवं कुशल अवसंरचना को वकिसति करने और वदिशी पूंजी के लयि नए क्षेत्रों को खोलने की आवश्यकता है।” टपिपणी कीजयि।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/accelerating-manufacturing-sector>

